दिनांक: 20-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधडी कर दुकानदारो का 80,06,828/- (अस्सी लाख छः हजार आठ सौ अठाईस) रूपये लेकर भागने वाले दंपत्ति को बैंगलौर (कर्नाटक) से किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि कि अभियुक्त योगेश बंसल अपनी पत्नी के साथ सहारनपुर में रेडीमेट कपडो का काम करता था तथा रेडीमेट कपडा स्थानीय दुकानदारो से खरीद कर शामली, दिल्ली मे बेचने का काम करते थे तथा हिरनमारान में स्वंय की रेडीमेड कपडो की दुकान थी। रेडीमेड कपडो के व्यापार में स्थानीय व्यापारियो का 80,06,828/- (अस्सी लाख छः हजार आठ सौ अठाईस) रूपये उधार हो गया, जिसे ना चुकाकर हडपने की नीयत से फरार हो गये।

इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कोतवाली नगर को निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.05.23 को मु0अ0स0 206/2022 धारा 420/406 भादवि में वांछित अभि0गण **1.योगेश बसंल उर्फ रिकू बंसल पुत्र स्व0 ऋषिपाल बंसल निवासी 5/62 हिरनमारानथाना कोतवाली नगर हाल निवासी म0न0-304 शांति निवास निकट एस एल वी तिराहा थाना हुलीमऊ जिला बैंगलौर सिटी (कर्नाटक), 2.टिंवकल बंसल पत्नी योगेश बंसल निवासी 5/62 हिरनमारानथाना कोतवाली नगर हाल निवासी म0न0-304 शांति निवास निकट एस एल वी तिराहा थाना हुलीमऊ जिला बैंगलौर सिटी (कर्नाटक)** को बैंगलोर (कर्नाटक) से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगणो का 72 घण्टे का ट्रांजिट वारण्ट लेकर जनपद सहारनपुर वापस आये तथा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त योगेश बंसल ने बताया कि हम लोग मौ0 ब्रहमनान कस्बा व थाना झिंझाना जिला शामली के मूल निवासी थे। कस्बा झिंझाना से करीब 22 वर्ष पूर्व मैं अपनी पैतृक सम्पत्ति बेचकर बैंगलौर अपनी पत्नी के साथ बैंगलौर चला गया था वहां अभि0 योगेश व उसकी पत्नी टिंवकल ने टिफिन बाक्स (खाना) सप्लाई करने लगे थे, वहां करीब 08 वर्ष काम किया। बैंगलोर में टिफिन सप्लाई का काम ऑनलाइन हो जाने के कारण काम मन्दा पड गया था। उसके पश्चात योगेश व पत्नी टिंवकल बैगलोर छोडकर वर्ष 2008-09 में सहारनपुर मे अपने जीजा अजय मित्तल के पास आ गये तथा किराये के मकान में जैन डिग्री कालेज के पास रहने लगे और सहारनपुर मे रेडीमेट कपडो का काम करने लगे तथा रेडीमेट कपडा स्थानीय दुकानदारो से खरीद कर शामली, दिल्ली मे बेचने लगे तथा हिरनमारान मे स्वंय की रेडीमेड कपडो की दुकान करने लगे रेडीमेड कपडो के व्यापार मे स्थानीय व्यापारियो का 80,06,828/- (अस्सी लाख छः हजार आठ सौ अठाईस) रूपये उधार हो गया। उधारी देने से बचने के लिए जुलाई 2022 में योगेश बसल अपनी पत्नी टिवंकल बसंल के साथ बैंगलोर चला गया और फिर से किराये के मकान म0न0-304 शांति निवास निकट एस एल वी तिराहा थाना हुलीमऊ जिला बैंगलौरसिटी (कर्नाटक) में टिफिन सप्लाई का कार्य शुरु कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता-

1- योगेश बसंल उर्फ रिकू बंसल पुत्र स्व0 ऋषिपाल बंसल निवासी 5/62 हिरनमारान थाना कोतवाली नगर हाल निवासी म0न0-304 शांति निवास निकट एस एल वी तिराहा थाना हुलीमऊ जिला बैंगलौरसिटी कर्नाटका

2- टिंवकल बंसल पत्नी योगेश बंसल निवासी 5/62 हिरनमारान थाना कोतवाली नगरहाल निवासी म0न0-304 शांति निवास निकट एस एल वी तिराहा थाना हुलीमऊ जिला बैंगलौरसिटी कर्नाटका

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम-

1. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. का0 1065 अनुज पाल कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. म0का0 946 रेशु शर्मा कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर